



कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय

काठाडीह, पो.आ.- सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013

दूरभाष : 0771 2969202

क्रमांक 2013/स्थापना/26

रायपुर दिनांक 16/02/2026

//सूचना//

विश्वविद्यालय की सूचना क्रमांक 1921/स्थापना/26 रायपुर दिनांक 28/01/2026 विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु अंतिम मेरिट सूची एवं चयन सूची का प्रकाशन किया था। उक्त सूचना की कंडिका 03 जो कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 की कंडिका 9 के अंतर्गत विस्थापन नियम के तहत सुश्री क्षमा रानी साहू का चयन किया गया था। चयनित सुश्री क्षमा रानी साहू के कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए प्रतीक्षा सूची के आधार पर संलग्न सूची अनुसार चयन सूची का प्रकाशन किया जा रहा है।

नोट:- 1.चयनित अभ्यर्थी को यह सूचना जारी होने की तिथि से 10 कार्य दिवस के भीतर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। पृथक से कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

2. चयनित अभ्यर्थी के कार्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी भी यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में अंतिम मेरिट सूची के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा।

3. चयनित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न) देना होगा कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।

4. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा परीक्षण में दस्तावेज सही पाये जाने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी/त्रुटि/अनुपयुक्तता/असत्यता पाए जाने पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात भी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

5. चयनित अभ्यर्थी की सेवा संबंधी समस्त शर्तें अतिथि व्याख्याता नीति 2024 एवं तत्संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी संशोधनों के अधीन होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(सुनील कुमार शर्मा)

कुलसचिव

श.र.

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक कुलपति की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, अध्ययनशाला / उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव / वित्त अधिकारी ।
3. डॉ. देवसिंह पाटिल, अध्यक्ष दस्तावेज सत्यापन समिति की ओर उपरोक्तानुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु ।
4. प्रभारी कंप्यूटर केंद्र की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
5. संबंधित चयनित अभ्यर्थी.....

1.कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग

डॉ. दुर्गेश कुमार केसर

कुलसचिव

sh.

KUSHABHAU THAKRE PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR,

DEPARTMENT OF COMPUTER APPLICATION

SELECTION LIST

S.N.	Name
1	Dr. Durgesh Kumar Keshar

REGISTRAR
Kushabhai Thakre Patrakarita
Avam Jansanchar Vishwavidyalaya
RAIPUR (C.G.) 492010

sh.

शपथपत्र
(50 रुपये के गैर-न्यायिक कागज पर नोटरीकृत)

मैं..... पिता उम्र वर्ष रहवासी
.....एतद द्वारा शपथपूर्वक
घोषणा करता/करती हूँ कि छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति
2024 की व्यवस्था अंतर्गत मुझे विश्वविद्यालय की
अध्ययनशाला/महाविद्यालय जिला के
विषय के प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी के रिक्त पद के
विरुद्ध अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी, अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय
सहायक/क्रीडा सहायक (जो लागू न हो उसे काट दे) हेतु आमंत्रित किया गया है जिसे स्वीकार कर
नीति में दी गयी निम्न शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। मैं शपथपूर्वक यह भी स्वीकार करता/करती
हूँ कि किसी भी सूचना के गलत पाये जाने की स्थिति में इस आमंत्रण/व्यवस्था को निरस्त किया जा
सकता है -

1. मैं छत्तीसगढ़ राज्य का/की मूल निवासी हूँ/नहीं हूँ।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
3. मैं किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत नहीं हूँ एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर मेरी सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
4. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 में उल्लेखित सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा एवं सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।
5. इस व्यवस्था के अंतर्गत नियमितीकरण हेतु न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

यदि उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा किसी अन्य कारण से बिना सूचना/अनुमति 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा मेरी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

गवाह

- 1.
- 2.